

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी,
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय :-

बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ इस्टेट संख्या-2793, कदवा, जिला- कटिहार की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 के आधार पर मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹1233.84 लाख (बारह करोड़ तेतीस लाख चौरासी हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹600.00 लाख (छः करोड़) मात्र की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली अशिक्षा को दूर करना, शैक्षणिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये कार्य करना, सामाजिक उत्थान और समाज में सह अस्तित्व मानवता एवं नैतिकता की भावना जागृत करना है। प्राकृतिक आपदा आने पर जरूरतमंदों की सहायता करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। इसकी आय से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्य आयोजित किये जाते हैं। जैसे विवाह का आयोजन, जलसा का आयोजन, रमजान के महीने में तरावीह का इजाम एवं गीलादशरीफ आदि का आयोजन कराया जाता है।

02. बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत वक्फ इस्टेट संख्या-2793, कदवा, जिला-कटिहार की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 के आधार पर मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹1233.84 लाख (बारह करोड़ तेतीस लाख चौरासी हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹600.00 लाख (छः करोड़) मात्र की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
03. यह राशि बजट गांग सं०-30 अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0108 वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवॉल्विंग फण्ड, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-30 2250008000108 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।
04. इस राशि की निकासी सविवालय कोषागार, सिवाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC-46 के माध्यम से सहायक निदेशक-सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। उक्त राशि निकासी कर "WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/o - BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA, का पी०एल० खाता सं०-PTSPLA029, लेजर का नाम वक्फ विकास योजना, लेजर आई०डी०सं० 13815 में CFMS के माध्यम से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।
05. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।
06. स्वीकृत रिवॉल्विंग फण्ड की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्य अथवा अन्य योजना के लिए नहीं किया जायेगा।
07. स्वीकृत रिवॉल्विंग फण्ड की राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-1203 दिनांक-14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र व्यय नहीं किया जायेगा।
08. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7355 (वि०) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
09. उक्त योजना का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 08.01.2025 एवं विभागी स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-30.04.2025 द्वारा अनुशंसित है।

कृ०पृ०उ०

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. योजना का क्रिया-व्यय मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
12. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत है।
13. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक:-

झापांक: अ०सं०क०-10 (Waqf) 60/2025...../

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक:-

झापांक: अ०सं०क०-10 (Waqf)-60/2025...../

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक:-

झापांक: अ०सं०क०-10 (Waqf) 60/2025...../

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य गवर्न निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक:-

झापांक: अ०सं०क०-10 (Waqf) 60/2025...../

प्रतिलिपि: सहायक निदेशक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक:-

झापांक: अ०सं०क०-10 (Waqf) 60/2025...../

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक:- 14.05.2025

झापांक: अ०सं०क०-10 (Waqf) 60/2025.....78...../

प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक 14/5